

नियंत्रित क्षेत्र के अर्न्तगत भवन निर्माण हेतु अनुमति पत्र

अनुमति पत्र

प्रबन्ध निदेशक-सह-नियंत्रक का कार्यालय, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर।

पत्र संख्या 1054

/एडीए

आदित्यपुर दिनांक 14.5.05

✓ प्रेषित

सर्वश्री समय कन्ट्रक्शन प्रा० लि०
द्वारा - सहारा गार्डन सिटी
आदित्यपुर -2


विषय: नियंत्रित क्षेत्र के अर्न्तगत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति ।

मौजा दिंदली खाता नं० एन-77/0-117, 118, 119 (अंश) सर्वे प्लॉट नं० एन-1438, 0-856, 857, 858 (अंश) एकवा 1.55 एकड़ वर्गफीट भूमि पर नया मकान निर्माण के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक के साथ समर्पित भवन प्लान निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है :-

1. संबंधित नक्शा Duplex Complex का है जिसमें Ground Floor, First Floor तक ही बनाने का प्रावधान है। आवासीय कॉलोनी में कुल 32 यूनिट है जो पूर्णतः आवासीय है।
2. स्वीकृत प्लान अनुसार ही निर्माण कार्य करना है इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य वगैर पूर्व अनुमति प्राप्त किए नहीं करना होगा।
3. प्रस्तावित भवन से मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए 20 (बीस) फीट चौड़ा रास्ता का प्रावधान रखना होगा।
4. प्रस्तावित भवन के आगे 12 फीट, पीछे 12 फीट तथा दोनों तरफ 6 फीट प्रत्येक भूमि, नाली आदि के लिए छोड़ने के बाद ही निर्माण कार्य करना होगा। प्राधिकार के वायलाज के अनुसार नक्शों में लाल इंक से मार्क कर दिया गया है उसके बाहर निर्माण नहीं करना है। संरचना की अधिकतम उचाई 11 मीटर से अधिक नहीं होगी चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की दूरी 61 फीट है।
5. प्राधिकार के कोई भी कर्मचारी/पदा० को किसी भी समय निर्माण निरीक्षण के लिए निर्माण स्थल पर जाने का अधिकार होगा।
6. प्रस्तावित भवन में खिड़की एवं पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति के निर्देशानुसार प्रावधान रखना होगा तथा main sewer से connection बिल्डर्स को ही करना है आवासीय कॉलोनी में 20 फीट चौड़े पथ एवं दोनों तरफ स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करनी है।
7. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार का विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार का जिम्मेवार नहीं होगा।
8. प्राधिकार को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा शू० अर्जन अधिनियम के अर्न्तगत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा।
9. बिल्डर्स द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। Deep बोरिंग नहीं कर निम्न प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी। इनके द्वारा इस संबंध में कोई Deviation नहीं की जायेगी।
 - A. Shallow boring.
 - B. Rain water harvesting system.
 - C. Water supply through W.S.S.D.

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर अनुपति किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध BRUL Act के अर्न्तगत धारा 2/1 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी । इसमें लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा ।

(Signature)
31.5.06
निरीक्षक
1



प्रबन्ध निदेशक-सह-नियंत्रक का कार्यालय, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर,।

पत्र संख्या 2882

/एडीए

आदित्यपुर दिनांक 27.12.05

प्रेषित

सर्वश्री समय कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि०
106, साकची, हाईवे (बंगाल क्लब के समीप)
साकची, जमशेदपुर।

विषय: नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति।


मोजा दिंदली खाता न० नया-21,53, 58, 75, 76, 77, 78 सर्वे प्लॉट न० नया- 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1174, 1175, 1176, 1177, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1443, एवं 1444 रकबा 7.20 एकड़ भूमि पर नया मकान निर्माण के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 17.05.2005 के साथ समर्पित भवन प्लान निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है :-

1. आवासीय कॉलोनी में कुल यूनिट जो पूर्णतः आवासीय है।
2. स्वीकृत प्लान अनुसार ही निर्माण कार्य करना है इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य वगैर पूर्व अनुमति प्राप्त किए नहीं करना होगा।
3. प्रस्तावित भवन से मुख्य सड़क तक पहुँचने के लिए 10 (दस) मीटर चौड़ा रास्ता, एवं आंतरिक पथ 7 मीटर चौड़ा रास्ता का प्रावधान रखना होगा।
4. प्रस्तावित ब्लॉक के चारों तरफ 12 फीट जगह फायर पाईटिंग की गाड़ी जाने हेतु जगह छोड़ना होगा। प्राधिकार के वायलाज के अनुसार नक्शे में लाल इंक से मार्क कर दिया गया है उसके बाहर निर्माण नहीं करना है। संरचना की 34:85 प्रतिशत ही कभरेज करना होगा। एफ़0ए0आर0-0.97 से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रत्येक ब्लॉक के बीच 8 फीट की दूरी होनी चाहिए।
5. प्राधिकार के कोई भी कर्मचारी/पदा० को किसी भी समय निर्माण निरीक्षण के लिए निर्माण स्थल पर जाने का अधिकार होगा।
6. प्रस्तावित भवन में खिड़की एवं पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति के निर्देशानुसार प्रावधान रखना होगा, तथा main seyer से connection बिल्डर्स को ही करना है आवासीय कॉलोनी में 10 मीटर चौड़े पथ एवं दोनों तरफ स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था करनी है।
7. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार का विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार का जिम्मेवार नहीं होगा।
8. प्राधिकार को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भू० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा।
9. बिल्डर्स द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। Deep boring नहीं कर निम्न प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी। इनके द्वारा इस संबंध में कोई Deviation नहीं की जायेगी।

A. Shallow boring

B. Rain water harvesting system

Water supply through W.S.S.D.



उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर अनुमति किसी भी समय रद्द कर दिया जावेगा और संबंधित व्यक्ति को विरुद्ध BRUL Act के अन्तर्गत धारा 2/1 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।


निर्वाहक

B

नियंत्रित क्षेत्र के अर्न्तगत भवन निर्माण हेतु अनुमति पत्र

अनुमति पत्र

प्रबन्ध निदेशक-सह-नियंत्रक का कार्यालय, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, आदित्यपुर।

पत्र संख्या 157 /एडीए आदित्यपुर दिनांक 06/02/08

प्रेषित

सर्वश्री समय कन्सल्टेशन प्रा० लि०,
सहारा गार्डन सीटी - फेज - 3,
106, साकची हाईवे,
साकची, जमशेदपुर।

विषय: नियंत्रित क्षेत्र के अर्न्तगत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति।

मौजा दिन्दली, खाता नं० नया-21, 34, 244, 53, 77 एवं 78/पुराना-17, 48, 117, 118, 119अंश 120/121 (पुराना) सर्वे प्लॉट नं० नया- 1440, 1442, 1379, 1441, 1443अंश, 1437अंश, 1438अंश, 1439अंश 1445अंश एवं 1446अंश/पुराना-846, 1135अंश, 847अंश, 856, 857, 858अंश, 802, 844 एवं 845अंश रकबा 13092 25 वर्गमीटर भूमि पर नया गकान निर्माण के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2007 के साथ समर्पित भवन प्लान निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है :-

1. भवन प्लान में Black Berry/Blue Berry/Silver Berry/Golden Berry - Ground + Parking + 4 Floor, Cheese Berry /Rose Berry /Sweet Berry /Honey Berry - Ground + Parking + 6 Floor जो Residential & Commercial हैं। इसमें कुल 12 Block Residential एवं 1 Block Commercial - G + 3 Floor है।
2. स्वीकृत प्लान अनुसार ही निर्माण कार्य करना है इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य बगैर पूर्व अनुमति प्राप्त किए नहीं करना होगा।
3. प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी में 20 फीट चौड मुख्य पथ तक पहुँचने के लिए राडक का प्रावधान रखना होगा।
4. प्रस्तावित प्रत्येक भवन के आगे 7.00 मीटर, पीछे 6.00 मीटर, तथा अगल-बगल में 5.00 मीटर जगह फायर फाईटिंग की गाड़ी जाने हेतु जगह छोड़ना होगा। ग्राउण्ड कवरेज 50 (पचास) प्रतिशत से अधिक न हो। एफ०ए०आर०-2.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। भवन की उँचाई 21.00 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. प्राधिकार के कोई भी कर्मचारी/पदाधिकारी को किसी भी समय निर्माण निरीक्षण के लिए निर्माण स्थल पर जाने का अधिकार होगा।
6. प्रस्तावित भवन में खिडकी एवं पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति के निर्देशानुसार प्रावधान रखना होगा तथा Main sewer से Connection बिल्डर्स


को ही करना है, पथ एवं दोनों तरफ स्ट्रीट लाइट एवं बृक्षारोपण की व्यवस्था करनी है। भवन में लिफ्ट एवं अग्निशामक की व्यवस्था बिल्डर्स को करनी होगी।

7. आदित्यपुर - काण्डा मुख्य पथ के बीच से 105 फीट छोड़कर भवन का निर्माण करना होगा।
8. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार का विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार का जिम्मेवार नहीं होगा।
9. प्राधिकार को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भू0 अर्जन अधिनियम के अर्न्तगत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा।
10. बिल्डर्स द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। Deep Boring नहीं कर निम्न प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी। इनके द्वारा इस संबंध में कोई Deviation नहीं की जायेगी।

a. Rain water harvesting system

b. Water supply through W.S.S.D.

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर अनुमति किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध BRUL Act के अर्न्तगत धारा 2/1 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।


नियंत्रक

**SAHARA'S
GARDEN CITY**





Cheeseberry
4515-4528
Roseberry
5013-5028







Cheesberry
4501-4514
Roseberry
5001-5014





Raspberry
Strawberry
1875-1-95